प्रेस विज्ञप्ति
06.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता अंचल कार्यालय ने 11.07.2025 को कोलकाता में अनुभव भट्टर और अन्य से जुड़े 10 परिसरों में मेसर्स बीआरएच वेल्थ क्रियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में निवेशकों की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की बरामदगी हुई।

ईडी ने बीआरएच वेल्थ क्रियेटर्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 27 के साथ पठित धारा 24(1) के उल्लंघन के लिए माननीय स्पेशल कोर्ट, कलकत्ता के समक्ष सेबी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। उक्त अभियोजन शिकायत प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए दायर की गई थी और उसके बाद एक्सचेंजों को गलत जानकारी प्रस्तुत करते समय ग्राहकों के ऋण निधियों का विपथन(डायवर्जन) किया गया था। निवेशकों को धोखा देने के इरादे से जानकारी और डेटा छिपाकर उक्त कंपनी को सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12ए के साथ-साथ सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विनियमन 3, 4(1) और 4(2)(पी) का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इसके अलावा, बीआरएच वेल्थ क्रियेटर्स लिमिटेड और इसकी संबंधित इकाई मेसर्स बीआरएच कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को उनकी ऋणग्रस्तता से परे गिरवी रखा है। उपरोक्त संस्थाओं ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए कई बैंक खातों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को धोखाधड़ी से डायवर्ट किया। उपरोक्त कंपनियों ने अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबर डेटा और ग्राहकों द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी का भी दुरुपयोग किया था।

ईडी जांच से पता चला है कि बीआरएच वेल्थ क्रियेटर्स लिमिटेड और अन्य ने प्रतिभूतियों में निवेश की आड़ में जनता से सैकड़ों करोड़ रुपये में चलने वाली बड़ी धनराशि एकत्र की है। इसके बाद, विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, उपरोक्त प्रतिभूतियों को समूह संस्थाओं में डायवर्ट/साइफन किया गया है और वास्तविक निवेशकों के ज्ञान के बिना गिरवी रखा गया है। ईडी जांच से यह भी पता चला कि कुछ मामलों में, क्लाइंट एस प्रतिभूतियों को वास्तव में ग्राहकों के डीमैट खातों से बीआरएच वेल्थ क्रियेटर्स लिमिटेड के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन प्रतिभूतियों को अंततः गिरवी रखने के लिए बीआरएच कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया गया था।

आगे की जांच चल रही है |